उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–26 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
26 (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला प्रयागराज, तहसील सोरावं, ब्लाक श्रृंग्वेरपुर मौजा पिपरौध के गॉव बलुवन का पूरा के पंचायत भवन से ब्राहमा पाण्डेय के घर तक चकरोड को काट कर वर्षो पूर्व खेत मे मिला लिया गया है, जिससे आवागमन मे बाधा उत्पन्न हो गयी है ?	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद की आख्यानुसार ग्राम पिपरौध की आराजी सं0 27 रकबा 0.0570 हे0 राजस्व अभिलेखों में मुख्य मार्ग के खाते में दर्ज है और मौके पर मुख्यमार्ग पर विकास विभाग द्वारा खड़न्जा बिछवाया गया है, जिस पर सुचारू रूप से आवागमन हो रहा है।
(ख)	चकरोड काटने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा चकरोड की इण्टरलाकिंग कब तक करा दी जायेगी ?	मौके पर मुख्यमार्ग खाली है, अतएव किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
(ग)	क्या कुछ दबंग लोगों ने चकरोड के किनारे परती की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बना लिया है ?	मुख्यमार्ग के किनारे गाटा संख्या0 24 रकबा 0. 0540 हे0 कागज़ात सरकारी में नवीन परती के रूप में दर्ज है। जिस पर अंजनी प्रसाद त्रिपाठी पुत्र रमापति त्रिपाठी व विजय त्रिपाठी पुत्र श्याम त्रिपाठी व डॉ0 तीर्थमणि त्रिपाठी पुत्र राधेश्याम त्रिपाठी निवासी ग्राम पक्का रहायसी मकान बना है। अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध सहायक कलेक्टर/तहसीलदार सोरावं के न्यायालय में उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 67 के तहत बेदखली का वाद विचाराधीन है। जिसका मूल वाद सं0 9195, 9196 व 9197 सन् 2022 है।
(घ)	यदि हाँ, तो परती जमीन से अवैध कब्जा हटवायेंगे ?	वाद के निस्तारण के उपरान्त नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।
(ड़)	यदि हाँ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
(च)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।